कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन {म.प्र.}

:: निविदा की शर्तें::

1. निविदाकार के संस्थान का विधिवत पंजीयन होना अनिवार्य हे। संस्थान का पूर्ण पता दिया जावें। संस्थान का वाणिज्यिक कर विभाग में जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा आयकर समाशोधन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निविदाकार द्वारा निविदा में अंकित सामग्रियों के निर्माण की तिथि, निर्माण कंपनी एवं सामग्री का विस्तृत विवरण, ब्राण्ड का नाम निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा। सामग्री के विस्तृत तकनीकी विवरण, छायाप्रति/रेखाचित्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. सफल निविदाकार को रूपये 100.00 के नॉन ज्युडिशिल स्टाम्प पर शर्तो का अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अनुबंध के दिनांक से मूल्य बढने के उपरान्त भी निविदाकार को अनुमोदित दरों पर सामग्री प्रदाय करनी होगी।
4. सामग्री प्रदाय करने के आदेश जारी होने की दिनांक से स्वंय के व्यय पर 15 दिवस में सामग्री कंपनी कमाण्डेंट होमगार्ड रायसेन के कार्यालय में पहुॅचाना होगा। विलम्ब होने की दशा में प्रतिदिन की पैनाल्टी, जो कलेक्टर रायसेन द्वारा नियत की जावेगी। सफल निविदाकार से वसूली योग्य होगी।
5. यदि निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय नहीं की गई तो सामग्री खुले बाजार से कय की जावेगी, अंतर की राशि सफल निविदाकार से राजस्व की भांति वसूल की जावेगी तथा धरोहर राशि शासनहित में राजसात कर ली जावेगी।
6. निविदा के साथ सुरक्षा निधि के रूप में प्रस्तावित निविदा सामग्री की कुल कीमत {सभी कर सहित} की 5 {पांच} प्रतिशत प्रतीभूति {धरोहर} राशि 10,000/– का एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट {राष्ट्रीय बैंक का} जो कलेक्टर रायसेन के नाम से देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाकर धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जावेगी एवं शासन को हुए नुकसान की भरपाई की वसूली सफल निविदाकार से भू–राजस्व की भांति की जावेगी ।
8. अनुबंध एवं निविदा मान्य या अमान्य करने के संबंध में कलेक्टर रायसेन का निर्णय अंतिम होगा। जिन निविदाकारों की निविदा अस्वीकृत होगी, उन्हें सूचना अथवा कारण नहीं बताया जावेगा। अनुबंध की शर्तो के उल्लघंन पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। कलेक्टर के निर्णय के विरूद्व कोई आपत्ति/अपील मान्य नहीं होगी।
9. समस्त निविदाकार निविदायें कार्यालय कलेक्टर/अधीक्षक जिला कार्यालय रायसेन को प्रस्तुत करेगें। निविदा फार्म दिनांक 28.6.2018 शाम 5.00 तक ही विकय की जावेगी एवं दिनांक 29.6.2018 के अपरान्ह 3.00 बजे तक ही प्राप्त की जावेगी। इसके उपरांत प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष प्राप्त निविदायें खोली जावेंगी।
10. प्रस्तुत निविदा दरें समस्त कर सहित तथा भाडा आदि शामिल कर दी जावे। प्रस्तावित दर के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। सशर्त प्रस्तुत निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर रायसेन

पृ.कमांक/5026/बाढ़ राहत/निविदा/2018

रायसेन, दिनांक 23.5.2018

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ।
2. समस्त कलेक्टर...(म.प्र.)
3. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर 08–प्रति के साथ सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु राष्ट्रीय स्तर एवं प्रदेश स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
4. सहायक संचालक जनसम्पर्क रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कृप्या स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा जिला कार्यालय रायसेन की ओर नोटिस वोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु अग्रेषित।
6. तहसीलदार (सर्व) जिला रायसेन की ओर नोटिस वोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु अग्रेषित।
7. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण रायसेन की और जिले की समस्त नगरपालिकाओं के नोटिस वोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु अग्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (सर्व) जिला रायसेन की ओर नोटिसबोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु अग्रेषित।

डिप्टी कलेक्टर
जिला–रायसेन

कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन {म0प्र0}

क्रमांक / 5026 / एस.डब्ल्यू.बी.एन. / 2018 रायसेन, दिनांक 23 .5.2018

:: प्रारूप निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र::

1. नाम / फर्म का नाम :–
2. निविदा प्रपत्र की राशि रू. 1,000 / – रसीद क्र.......................................दिनांक...................
3. निविदा विक्रय की तिथि का दिनांक 22.6.2018 से 28.6.2018 अपरान्ह 5.00 तक
4. निविदा प्राप्ति दिनांक 29.6.2018 दोपहर पश्चात 3.00 बजे तक
5. निविदा खोलने की तिथि का दिनांक 29.6.2018 अपरान्ह 4.00 से

{संलग्न– निविदा की शर्तें}

क्र.	वस्तु / सामग्री का विवरण	क्रय हेतु अनुममानित संख्या	प्रति नग राशि रूपये
1	रबर बोट	03 नग	
2	ओबीएम इंजन {25 एच पी }	03 नग	
3	फुट पंप	05 नग	
4	रेनकोट	50 नग	
5	रोप लांचर	01	
6	स्नेक केचर	05	
7	जूट रोप 1 / 2 इंच मोटा	100 मीटर लम्बा	
8	स्वीमिंग कॉस्टयूम	50	

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, रायसेन
जिला–रायसेन